

(हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

सं०:विस०-विधायन-समिति गठन/1-14/2018

दिनांक : 20 दिसम्बर, 2025

इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-07-2025 की निरन्तरता में अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा समितियों के गठन में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्न सदस्यों को सदस्य के रूप में नामांकित किया है:-

1. विशेषाधिकार समिति

सदस्य का नाम	नामांकित सदस्य
माननीय उपाध्यक्ष के स्थान पर	माननीय अध्यक्ष, सभापति होंगे।

2. अधीनस्थ विधायन समिति

माननीय उपाध्यक्ष के स्थान पर	श्री विनय कुमार, सभापति नामांकित किये।
------------------------------	--

3. कार्य सलाहकार समिति

माननीय उपाध्यक्ष के स्थान पर	श्री विनय कुमार, सदस्य नामांकित किये।
------------------------------	---------------------------------------

4. नियम समिति

माननीय उपाध्यक्ष के स्थान पर	श्री विनय कुमार, सदस्य नामांकित किये।
------------------------------	---------------------------------------

सचिव, 20/12/25

हि०प्र० विधान सभा।

पृ०सं०: वि०स०-विधायन-समिति गठन/1-14/2018

शिमला-4,

दिनांक, 20 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
2. हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा/लोक सभा के समस्त संसद सदस्य, संसद भवन, नई दिल्ली।
3. महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली।
6. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
7. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्य मंत्री, वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय उप-मुख्य मंत्री/निजी सहायक, नेता प्रतिपक्ष एवं निजी सचिव समस्त मंत्रीगण हिमाचल प्रदेश, शिमला।
8. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय।
9. सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विधान मण्डल भारत वर्ष में।
12. समस्त समिति अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला।
13. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
14. निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन, शिमला-4, उनसे निवेदन है कि वे इस समाचार को एक से अधिक प्रसारणों में प्रसारित करने की कृपा करें

सचिव,

हि०प्र० विधान सभा।